न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या–36 / 2025 प्रा.प..

उनवान

1. श्रीमती निर्मला गोस्वामी पत्नी वासुदेव पुरी गोस्वामी उम्र बालिग निवासी बामनिया तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरा पिता कालु मीणा उम्र बालिग निवासी बिचली मंगरी बामनिया, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री नाथु पिता परता मीणा उम्र बालिग निवासी बिचली मंगरी बामनिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले.रे.एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः– 23/06/25

उपस्थितिः– श्री सुरेश पुरी अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री नरेश सोनी अधिवक्ता– विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे की कृषि भूमि मौजा बिचली मंगरी पटवार हल्का बामनिया भू.अ.नि. बरोडा मे स्थित है जिसके जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 अनुसार खाता संख्या 103 आराजी नम्बर 4091 / 0.2400, 4092 / 0.2000, 4958 / 0.1000, 4959 / 0.3700 कुल किता 4 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी ने वजिया पिता काना जी कलाल निवासी बामनिया तहसील सलूम्बर से पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 10–05–2010 को क्रय की थी और क्रय के उपरान्त उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम नामान्तरण खुला तब से मैं प्रार्थिया काबिज होकर निरन्तर काश्त करती आ रही हुं। मुझ प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि के सीमा जानकारी करवाने बाबत् तहसीलदार महोदय, सलूम्बर के यहां आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करने के लिये मौके पर आये लेकिन मौके पर विपक्षीगण ने उक्त कृषि भूमि के उत्तर दिशा में बिलानाम कृषि भूमि स्थित है जिस पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और कह रहे है कि उक्त कृषि भूमि हमारे बाप दादाओ की है जबकि मौके पर अभी भी विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा नही है और मौके पर पडत पडी हुई है लेकिन विपक्षी संख्या 1 व 2 जबरन उक्त कृषि भूमि अपनी बताकर झगडा फसाद करते है और सीमांकन करने से मना कर रहे है जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 23–04–2025 को मौके का पर्चा मौका बनाया और पर्चे मौके में मौके पर विवाद होने की वजह से पत्थरगढी की सलाह दी गई। मुझ प्रार्थीया के उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1, 2

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नाजायज कब्जा करना चाहते है और मुझ प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि को अपनी कृषि भूमि बता रहे है जिस कारण मौके पर मुझ प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थर का कोट एवं बाड बनाने से उजर एतराज करते है और मौके पर लडाई झगडा करते रहते है और मुझ प्रार्थीया की कृषि के पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा एवं दक्षिण दिशा की तरफ काश्तकारों से मुझ प्रार्थिया का कोई विवाद नही है मात्र उत्तर दिशा की तरफ विपक्षी संख्या 1 व 2 उजर एतराज कर रहे है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थीया के खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा की तरफ बिलानाम कृषि भूमि है जिसे विपक्षी संख्या 1, 2 अपनी बताते है। विपक्षी के झगडा करने की वजह से मुझ प्रार्थीया के पति ने पुलिस थाना झल्लारा में भी रिपोर्ट दी थी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम बिचली मगरी पटवार हल्का बामनिया के खाता संख्या 103 आराजी नम्बर 4091, 4092, 4958, 4959 कुल किता 4 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी राजस्व रेकॉर्ड अनुसार कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश सोनी ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया की स्वामित्व की भूमि पुराने रेकॉर्ड अनुसार सुई मगरी मे है। वहा भूमि तीन भागो में विभक्त है, जोशीवाडा, सुई मंगरी व बिचली मंगरी, बिचली मंगरी में विपक्षी संख्या 1, 2 के खाते की भूमि है। जिनके आराजी नम्बर 5803/4089, 5804 है। उसके पास बिलानाम भूमि है उस पर प्रार्थी जबरन गरीब अनुसूचित जाति के समझ कर दबाव डालकर हडपना चाहते है जबकि शदीयों से 4 पिढी से उनका कब्जा होकर पेनल्टी भरते आ रहे है तथा पशु बाधते है, कच्चा घास फुस का पशु घर बना है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 विपक्षी के जानकारी मे नही है। प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 3 का जवाब इस प्रकार है कि उत्तर दिशा कि आराजी का विवादीत बता रहे है चारो आराजी का उत्तर दिशा अलग–अलग है चारो के आराजी नम्बर अलग है प्रार्थी स्वयं भ्रमित है किस आराजी का विवाद है। यदि बिलानाम भूमि पर विपक्षीगण काबिज है तो प्रार्थीया को क्या आपति है प्रार्थी की भूमि पर तो नही है। न ही कभी विवाद हुआ है मात्र प्रार्थीया के दिल बदनियति पैदा हुई है कि बिलानाम भूमि पर गरीब मीणा जाति के लोग है कानुन, धन, राजनैतिक दम दिखा कर उस पर कब्जा कर लेंगे। इसलिये झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। काश्तकार सन्तुष्ट नही होने से पत्थरगढी का आधार नही है। इसलिये झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया उत्तर दिशा मे किसी आराजी नम्बर का सीमांकन कराना चाहते है कोई उल्लेख नही है। प्रार्थीया स्वयं भ्रमित है कौनसा आराजी नम्बर बिलानाम है कोई स्पष्ट अंकन नही है झुठा प्रकरण की सूचना पुलिस में देने से पुलिस कार्यवाही के लिए बाध्य नही है। सीमा जानकारी से असंतुष्ट होना पत्थरगढी का आधार नही मौके पर कोई विवाद नही मात्र प्रार्थीया जबरन कब्जा करना चाह रही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र झुठा होने से खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया की बहस अपने प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1, 2 की बहस अपने जवाब अनुसार रही। बहस मनन की गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खात संख्या 103 आराजी नम्बर 4091/0.2400, 4092/0.2000, 4958/0.1000, 4959/0.3700 कुल किता 4 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि की रेकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने कि अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

–:आदेश:–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बिचली मंगरी पटवार हल्का बामनिया भू.अ.नि. बरोडा मे स्थित है जिसके जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 अनुसार खाता संख्या 103 आराजी नम्बर 4091/0.2400, 4092/0.2000, 4958/0.1000, 4959/0.3700 कुल किता 4 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि मे राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीया की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय दिनांक 23/06/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर • सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(परमजीत आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सलूम्बर
जिला सलूम्बर